मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 (फाल्गुन 28, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 138 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 167 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा अशासकीय संकल्प के संबंध में बिना अनुमति अपनी बात कहने पर, अध्यक्ष महोदय ने उन्हें प्रक्रियानुसार, शालीनतापूर्वक अध्यक्षीय कक्ष में अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु, उनके द्वारा कार्यवाही में लगातार व्यवधान करने पर, माननीय अध्यक्ष ने उनके कथन को रिकार्ड में नहीं लेने के निर्देश दिए। डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में बैठ गईं)

2. नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन की बेगमगंज तहसील के ग्राम करहौला में नलकूप खनन न होने,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के संविदा शिक्षक की नियुक्ति में सौदेबाजी की जाने,
(3) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में विद्युत लाईने न बिछाये जाने,
(4) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट में मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कम दर पर जलाऊ लकड़ी न दिये जाने,
(5) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की महिदपुर को जिला बनाये जाने,
(6) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट की बैहर तहसील में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ किये जाने,
(7) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की प्रदेश में स्वच्छता अभियान के तहत अनियमितताएं होने,
(8) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की राजनगर क्षेत्र में काम की तलाश में मजदूरों का पलायन होने,
(9) श्री कमलेश जाटव (एडवोकेट), सदस्य की रायसेन जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जे होने तथा
(10) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की बड़वानी जिले के सेंधवा में सौ-बिस्तरों का अस्पताल खोले जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

4. सम्पत्ति के विवरण पटल पर रखे जाना

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 20 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 8 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखे माने जाएंगे। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा। पहले क्रमांक (1) से (8) तक की सूचनाएं ली जाएंगी।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने चंबल कंट्रोल बोर्ड से हुए समझौते के अन्तर्गत ग्रामों को गांधीसागर बांध से पेयजल हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पारस दादा, रत्नेश सालोमन, आरिफ अकील तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण ने दमोह नगर में खसरे के टीके लगाये जाने से चार बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य गर्भगृह से उठकर सदन से बाहर गईं)

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में सतगुरू शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूलों को बंद किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(4) सर्वश्री बिसाहूलाल सिंह तथा प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्यगण ने सिवनी जिले में मालिक मकबूजा नीति के अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के खानूगांव में एक महाविद्यालय का नियम विरूद्ध संचालन किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य ने राजगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिंध नदी की पुलिया संकीर्ण होने से आवागमन अवरूद्ध होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री अरुणोदय चौबे, सदस्य ने सागर जिले के ग्राम पड़रई निवासी एक परिवार पर प्राणघातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री पारस दादा, सदस्य ने प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना न होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण के उत्तरों का विस्तृत होना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ मानीय मंत्रीगण द्वारा ध्यानाकर्षण के उत्तर प्रायः 10-12 पृष्ठों के, अत्यधिक विस्तृत होने के कारण डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया कि वे भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि मंत्रियों के लिखित उत्तर संक्षिप्त हों, जिससे सदन के समय का अपव्यय न हो एवं माननीय सदस्यगण द्वारा भी न्यूनतम प्रश्न पूछे जाएं।

7. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (9) से (20) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(9) सर्वश्री अजय सिंह, रामनिवास रावत तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की जबलपुर जिले के ग्राम बरतरी में पुलिस कर्मियों द्वारा दलित महिला को जलाये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की बरगी सिंचाई परियोजना से सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम पंचायत दिया के आसपास चोरी की घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की इंदौर के सांवेर रोड स्थित कम्पनी से गैस रिसने से एक श्रमिक की मौत होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री पारस दादा, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम सरवन में समुदाय विशेष के लोगों के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(14) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के पद पर पदस्थापना में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम रमटा में एक महिला की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर की कई कालोनियों में नलजल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था न होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार सहायकों की भर्ती में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भोपाल के समीप सतलापुर स्थित रावत फूड्स फैक्ट्री द्वारा कृषकों की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(19) सर्वश्री मूलसिंह (दादा भाई) तथा प्रियव्रत सिंह, सदस्यगण की गुना जिले में जंगली जानवरों द्वारा फसल को क्षति पहुंचाई जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम डालूपुरा के पास विद्युत तार टूटे होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री शिवनारायण जागीरदार, सदस्य ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पंचम् प्रतिवेदन (द्वादश विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (त्रयोदश विधान सभा) सदन में प्रस्तुत किया।

9. याचिका की प्रस्तुति

श्री सुभाष कुमार सोजतिया, सदस्य ने मन्दसौर जिले की गरोठ तहसील के ग्राम चापल्याखेड़ी कोर्टडी, आंकली एवं आनंदीपुरा आदि ग्रामों में निवासरत चमार बंजारा जाति के व्यक्तियों को राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने संबंधी याचिका प्रस्तुत की।

10. सम्पत्ति के विवरण पटल पर रखे जाना

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन तथा श्री पारसचन्द्र जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे।

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामखिलावन पटेल, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010

अशासकीय संकल्प	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-42,46)	सर्वश्री बृजमोहन धूत, मोहन शर्मा	1 घन्टा
2. (क्रमांक-40)	श्री रामनिवास रावत	30 मिनिट
3. (क्रमांक-14, 45)	सर्वश्री मोतीलाल तिवारी, लक्ष्मण तिवारी	15 मिनिट
4. (क्रमांक-19)	श्री रत्नेश सालोमन	15 मिनिट
5. (क्रमांक-22, 31)	सर्वश्री आरिफ अकील, शिवनारायण मीणा	30 मिनिट

श्री रामखिलावन पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या - 17 सहकारिता के लिए एक सौ चवालीस करोड़, अन्ठानवे लाख, पचपन हजार रूपये तथा

अनुदान संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए सात सौ बारह करोड़, इक्कीस लाख, अडसठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 17	6, 9, 10, 12, 15
मांग संख्या - 20	2, 3, 4, 21, 22, 23, 26, 29, 30

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री लक्ष्मण तिवारी
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री रामलाल मालवीय
(8) श्री राधेलाल बघेल
(9) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

13. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा खेद व्यक्त किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आज डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति कथित अप्रिय शब्दावली के प्रति खेद व्यक्त करने की मांग की गई। डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा उनके शब्द खेदजनक होने पर माफी चाही गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - "यद्यपि मैं माननीय सदस्य के प्रति सहिष्णु हूं और यह मेरी मान्यता है कि लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा सम्मान देना चाहिए, तभी लोकतंत्र परिपक्व होगा। कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे यह चिंतन करे कि क्या माननीय सदस्य का व्यवहार संसदीय प्रक्रियाओं के तहत ठीक था ? अनेक सदस्यों द्वारा उनको मनाने पर भी वे जोर देती रहीं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मेरी इस पर घोर आपत्ति है। मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। किसी भी माननीय सदस्य को यदि मेरे किसी कृत्य से असहमति है तो उसको हल करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके अपनाने चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के अशासकीय संकल्प को आगामी सत्र के प्रथम शुक्रवार को चर्चा हेतु लेने की घोषणा की गई।

14. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(10) डॉ. भानु राना
(11) श्री जेवियर मेड़ा
(12) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(13) श्री दिलीप जायसवाल
(14) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(15) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(16) श्री बृजमोहन धूत
(17) श्रीमती ललिता यादव
(18) श्री मनीराम धाकड़
(19) श्री मदन कुशवाह

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. अध्यक्षीय व्यवस्था

अशासकीय कार्य संबंधी व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अधीन शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए नियत हैं। सदन में कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर हुए निर्णय के अनुसार, सदन की कार्यवाही दिनांक 9 मार्च से 22 मार्च तक शाम 7.00 बजे तक निर्धारित है। अतः आज सायं 6.00 बजे तक शासकीय कार्य लिया जाएगा। अतः इसके बाद में ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किये गये हैं।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

16. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए छह सौ छब्बीस करोड़, सैतीस लाख, इकसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए सैंतीस करोड़, बावन लाख, पन्द्रह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 35	पुनर्वास के लिए सैंतीस लाख, अड़सठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए सात सौ छियत्तर करोड़, अठहत्तर लाख, चौरानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 8	5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
मांग संख्या - 9	7, 8, 10, 11
मांग संख्या - 35	4, 6, 7
मांग संख्या - 58	3, 4, 5, 7, 8

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री देवेन्द्र वर्मा
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री के.पी. सिंह
(5) श्री पारस दादा
(6) श्री रामलल्लू वैश्य
(7) श्री मूल सिंह (दादा भाई)
(8) श्री आरिफ अकील
(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री बृजमोहन धूत, मोहन शर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव एक साथ करवाये जायें जिससे समय एवं धन की बर्बादी को बचाया जा सके".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत संकल्प में निम्नानुसार संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"संकल्प की द्वितीय पंक्ति की शब्दावली "जिससे समय एवं धन की बर्बादी को बचाया जा सके" के स्थान पर शब्दावली "ऐसे प्रावधान भी किये जाएं जिससे लोक सभा तथा विधान सभाएं अपना पांच वर्ष का निर्धारित कार्यकाल अनिवार्यतः पूर्ण करे। साथ ही निर्वाचन में अभ्यर्थियों के चुनावी व्यय के लिए भी उपयुक्त शासकीय निधि निर्मित की जाये।"

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

मूल अशासकीय संकल्प एवं उस पर प्रस्तुत संशोधन पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजमोहन धूत
(2) श्री मदन कुशवाह
(3) श्री लक्ष्मण तिवारी

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित यथासंशोधित संकल्प पर मत लिया गया -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनाव एक साथ सम्पन्न हो सके। ऐसे प्रावधान भी किये जाएं जिससे लोक सभा तथा विधान सभाएं अपना पांच वर्ष का निर्धारित कार्यकाल अनिवार्यतः पूर्ण करें। साथ ही निर्वाचन में अभ्यर्थियों के चुनावी व्यय के लिए भी उपयुक्त शासकीय निधि निर्मित की जाये।"

यथा संशोधित संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) सर्वश्री मोतीलाल तिवारी, लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा-भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित (ए.सी.) श्रेणी 2 व 3 की एक-एक बोगी तथा शयनयान श्रेणी की एक बोगी स्थायी रूप से जोड़ी जाये". श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री रत्नेश सालोमन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक दिन चलती है, इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाये". तथा चर्चा में भाग लिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) सर्वश्री आरिफ अकील, शिवनारायण मीणा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि शहरों में फैल रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से वाहनों के डिस्पोजल की समय सीमा निर्धारित की जावे". श्री आरिफ अकील, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.24 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 2010 (चैत्र 1, 1932) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2010